

न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्र.क. क.-219/2015

संस्थित दिनांक-18.03.2015

फाईलिंग नं.-234503002342015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी पाथरी,  
 आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

रमेश पिता कोदू मरकाम, उम्र-27 साल, जाति बैगा,  
 निवासी-ग्राम झाको, पुलिस चौकी पाथरी, थाना मलाजखण्ड,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-08/03/2017 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-20.02.15 को दिन के 3:30 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम झाको में फरियादी सम्मेलाल के घर के सामने लोकस्थान पर फरियादी सम्मेलाल धुर्वे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया, फावड़े को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सम्मेलाल धुर्वे को फावड़े से सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी सम्मेलाल धुर्वे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस चौकी पाथरी अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में दिनांक-21.02.15 को फरियादी सम्मेलाल ने आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने ससुराल झाकों में रहकर मजदूरी का कार्य करता है। वह अपनी पत्नी के साथ दिनांक-20.02.15 अपने घर के सामने बैठा था, तभी गांव का रमेश मरकाम वहां आया और उसे मौ-बहन की अश्लील गालियां देने लगा, जब उसने मना किया तो आरोपी ने फावड़े से उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसे चोट लगी और खून निकलने लगा। उसकी पत्नी कमलीबाई और धवरा बैगा, फूलसिंह बैगा ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-18/2015, धारा-294, 323, 324 एवं 506 भाग-2 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त फावड़ा जप्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत ने आरोपी से राजीनामा किया, जिसके अनुसार आरोपी को शमनीय प्रकृति की धारा 294, 506 भाग-2 भा.द.वि. के अपराध में दोषमुक्त किया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के शमनीय प्रकृति की न होने से विचारण पूर्ण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-20.02.15 को दिन के 3:30 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम झाको में फरियादी सम्मेलाल के घर के सामने फावड़े को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत सम्मेलाल धुर्वे को फावड़े से सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी सम्मेलाल अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी रमेश मरकाम को जानता है। आरोपी से उसका घटना दिनांक को मौखिक वाद-विवाद हुआ था, जिसकी उसने पुलिस चौकी पाथरी, अंतर्गत थाना मलाजखण्ड में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने अंगूठा लगाया था। पुलिस मौके पर नहीं आई थी, किन्तु मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 के ए से ए भाग पर उसने अंगूठा लगाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लेख किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे कहा था कि उसने उसकी बुआ की लड़की से शादी कर लिया है, इसलिए वह उसे पैसा दे और इसी बात को लेकर आरोपी ने उसे गंदी-गंदी गालियां दी थी और फावड़ा उठाकर उसके सिर पर मारा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में आरोपी द्वारा फावड़े से मारने वाली बात लेख कराई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका और आरोपी का राजीनामा हो गया है।

6— प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की धारा-294 एवं 506 भाग-2 भा.द.वि. के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जा चुका है। फरियादी ने स्वयं अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह

कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे फावड़ा अथवा धारदार हथियार से मारकर चोट नहीं पहुंचाई थी। उपरोक्त स्थिति में आरोपी रमेश मरकाम द्वारा आहत सम्मेलाल धुर्वे को धारदार हथियार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतः आरोपी रमेश मरकाम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

7— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

8— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक फावड़ा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट